



UP-PCS

UPPSC सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा

पेपर - 2 || भाग - 1

भारतीय राजव्यवस्था एवं प्रशासन



विषय-सूची

1. परिचय	1
2. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	3
3. अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली	6
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था	11
5. उद्देशिका	18
6. अंग व राज्य	24
7. नागरिकता	29
8. मूल अधिकार	33
9. राज्य के नीति निर्देशक तत्व	50
10. मूल कर्तव्य	56
11. अंतर्राष्ट्रीय अंशोधन	60
12. शक्ति पृथक्करण का विवरण	63
13. अंग	
• राष्ट्रपति	65
• उपराष्ट्रपति	79
• मंत्रिपरिषद	80
• मंत्रिमंडल	81
• प्रधानमंत्री	83
• महान्यायवादी	86
14. अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध	87
15. राज्य	107

16. भारतीय न्यायिक व्यवस्था	
● न्यायपालिका	120
● उच्च न्यायालय	124
● अधीनस्थ/डिला न्यायालय	126
● जगहित याचिका	128
17. इथानीय शिक्षा	136
18. क्षेत्रीय शिक्षा और संबंधित प्रावधान	146
19. क्षेत्रीय शिक्षा	151
20. वित्त आयोग	157
21. लोक शिवाय	159
22. निर्वाचन आयोग	162
23. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	171
24. संविधान का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य	173
25. संविधान निर्माण	176
26. सांविधिक संस्थाएँ	178
27. केन्द्रीय शतकर्ता आयोग	180
28. केन्द्रीय शूचना आयोग	181
29. लोकपाल एवं लोकायुक्त	182
30. भारत में अधिकरण	185
31. अधिकार व मुद्दे	188
32. लोकनीति	191
33. विभिन्न देशों के संविधान से तुलना	193
34. उत्तरप्रदेश प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था	195
35. संविधिक विनियामक एवं अर्धन्यायिक निकाय	208

परिचय

शैक्षणिक प्रावधान : - वे प्रावधान जो शंक्षिधान में उपष्ट वर्णित हैं।

- अशैक्षणिक प्रावधान : - वे प्रावधान जो शंक्षिधान में वर्णित नहीं हैं और शंक्षिधान के विपरीत हैं।
- ये अमान्य होते हैं।
 - प्रचलन में नहीं होते हैं।

- गैर शैक्षणिक प्रावधान : - वे प्रावधान जो शंक्षिधान में वर्णित नहीं हैं, किन्तु शंक्षिधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते हैं।
- ये मान्य होते हैं।
 - ये प्रचलन में होते हैं।
 - ये क्रमय-क्रमय पर उपयोग होते रहते हैं।

शैक्षणिक प्रावधान :- वे प्रावधान, जो शंक्षिधान बनाए गए कानून के द्वारा गठित किया जाए।

कार्यकारी प्रावधान :- वे प्रावधान जो सरकार के आदेश/मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से निर्मित हो।

कुछ शंकल्पनाएँ

राज्य (State) : शैक्षणिक क्षेत्र
निश्चित भू-भाग
जनराज्या
सरकार
शंखुता (शर्वेच्य शक्ति) (बाह्य विहीन)

देश/राष्ट्र :- राज्य + निष्ठा

भारत एक राज्य है - शंकल्पना


भारत एक राष्ट्र है - व्यावहारिक रूप में

सरकार :- राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली शंक्षा

राज्य का रूप


पुलिंश राज्य	कल्याणकारी राज्य (Welfare State)
अधिजात्य वर्ग/ शाशक के हितों के लिए कार्य करना	शाशितों (लोग/जनता) के हितों के लिए कार्य करना
उदाहरण : रक्षणात्मक रूप से पूर्व भारत	उदाहरण : रक्षणात्मक के बाद भारत

शरकार लोगों के हितों के लिये कार्य कैसे करती हैं ?



शासन :- शरकार जो कुछ करती है तथा जिस विधि/रीति से करती है, उसे शासन कहते हैं। इसके अन्तर्गत नीतियाँ बनाना, निर्णय लेना व उन्हें लागू करवाना सम्मिलित किया जाता है।

प्रशासन :- यह शरकार का कार्यकारी अंग है, शरकार द्वारा बनाई गयी नीतियों निर्णयों आदि को लागू करना, प्रशासन कहलाता है।



राज्य व्यवस्था :- राज्य के निर्माण आदि का अध्ययन

शासकीय (Politics) :- राज्य के लिए निर्मित की जाने वाली नीति

शासकीयता :- शासकीय का व्यवहार करने वाले

शासकीयता :- शासकीय का विशेष ज्ञान रखने वाले

शंखिदान



शंखिदान किसी देश की शर्वोच्च व मूलभूत विधि है जो शरकारी के गठन एवं कार्यों के विषय में ज्ञानकारी प्रदान करती है।

शंखिदान के प्रकार :-

1. लिखित - दस्तावेज के रूप में शंखिदान विद्यमान हो।

उदाहरण : भारत, U.S.A. आदि

2. अलिखित - दस्तावेज के रूप में शंखिदान न हो।

उदाहरण : ब्रिटेन

भारत का शंखिदान			
	आग	अनुच्छेद	अनुशूली
मूल आग शंखिदान	22	395	8
वर्तमान शंखिदान	25	460 से अधिक	12

अनुशूलियाँ

अनुशूली	विषय
पहली अनुशूली	शड्य एवं शंघ + शड्य क्षेत्र के नाम
दूसरी अनुशूली	विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि
तीसरी अनुशूली	शपथ के प्रारूप
चौथी अनुशूली	शड्य शब्द में इथानों का आवंटन (बँटवारा)
पाँचवीं अनुशूली	अराम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोंग की छोड़कर शड्य शब्दों के अनुशूलित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
छठी अनुशूली	अराम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोंग के अनुशूलित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
शातवीं अनुशूली	शंघ एवं शड्यों के मध्य विद्यायी शक्तियों का वितरण
कानून बनान की शक्ति	
<ul style="list-style-type: none"> • शंघ शूली - शंखद • शड्य शूली - शड्य विद्यान मंडल • शमवर्ती शूली - दोनों 	
आठवीं अनुशूली	<u>भाषाएँ</u> मूल शंखिदान - 14 वर्तमान शंखिदान - 22
नौवीं अनुशूली	(1 st शंखिदान शंसोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया) - कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण
दशवीं अनुशूली	(52 th शंखिदान शंसोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया) - दल - बदल विरोध प्रावधान

म्यारहवी अनुशूची	(73 rd शंविधान कंसोटन 1992 द्वारा जोड़ी गयी) पंचायतों के अधिकार शक्तियाँ व उत्तरदायित्व - 29 विषय
बारहवी अनुशूची	(74 th शंविधान कंसोटन 1992 द्वारा जोड़ी गई) नगरपालिकाओं के अधिकार शक्तियाँ व उत्तरदायित्व - 18 विषय

शंविधान की विशेषताएँ:-

भारत का शंविधान विश्व का विशालतम् शंविधान - आइवर डेनिंग्स

- (i) ब्रिटिश विधि शास्त्री आइवर डेनिंग्स ने भारतीय शंविधान को विश्व के विशालतम् शंविधान की शंक्षा दी है भारत के शंविधान के विशालता के लिये निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं-

भारत भौगोलिक रूप से विशाल देश है एवं शामाजिक व शांकृतिक रूप से विविधता युक्त हैं अतः इस विशालता व विविधता से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के शमादान के लिये शंविधान में अनेक प्रावधानों का शमावेश करना पड़ता है। जैसे - शंघ, शड्य दोनों के विषय में प्रावधान, अनुशूचित व जनजातियों की त्रों के प्रशासन के शंदर्भ में प्रधान, आदि।
- (ii) भारतीय शंविधान पर ऐतिहासिक विशासत की उपष्ट छाप है। शंविधान का लगभग 2/3 भाग नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत शरकार 1935 अधिनियम पर आधारित हैं। ये दस्तावेज़ त्वयं बड़े दस्तावेज़ थे, भारत शरकार अधिनियम 1935 में 321 द्वारा और 10 अनुशूचियाँ शामिल की यह ब्रिटिश काल का शब्द से बड़ा कानून था।
- (iii) भारतीय शंविधान में अनेक प्रावधान विदेशी शंविधानों से ग्रहण किये गये हैं। लगभग 1 दर्जन देशों के शंविधानों के अच्छाइयों को भारतीय शंविधान में शामिल किया गया है।
- (iv) भारत एक शंघीय शड्य है। शंघीय शड्यों में शंघ व शड्यों के शंविधान अलग होते हैं जबकि भारत में शंघ व शड्यों के लिये एक ही शंविधान निर्मित किया गया है।
- (v) भारतीय शंविधान में अनेक ऐसे प्रावधानों को शमिलित किया गया हैं जो शामान्यतः शंविधान की विषय वस्तु नहीं होती हैं और अन्य देशों में उन्हें शंविधान में शामिल नहीं किया गया है। जैसे-लोक शैवालों से शंबंधित प्रावधान आदि।

आलोचना :- डेनिंग्स ने भारतीय शंविधान की आलोचना करते हुए इसे वकीलों का श्वर्ग कहा है उन्होंने शंविधान की यह आलोचना निम्नलिखित दो आधारों पर की है

- (i) भारतीय शंविधान विशाल होने के कारण अनेक विवादों को शंविधान के दायरे में इकट्ठे उत्पन्न होने का अवशर देता है जिसका शमादान न्यायालय द्वारा वकीलों के द्वारा प्रत्युत किये गये तर्क व दलिलों के आधार पर किया जाता है।
- (ii) डेनिंग्स ने शंविधान की भाषा शैली को शंविधान का दुर्गुण बताया है। शंविधान की जटिल भाषा शैली शामान्य व्यक्ति की शमझ से परे है और अनेक अवशरों पर यह एक ही अनुच्छेद के अनेक अर्थ या व्याख्या उत्पन्न करती है। शंविधान की शही व्याख्या का निर्णय अन्ततः न्यायालय करता है किन्तु न्यायालय वकीलों द्वारा प्रत्युत किये गये तर्क एवं शाक्यों के आधार पर ही ऐसा निर्णय करता है।

भारत का शंविधान एक गृहित शंविधान है :- शंविधान का लगभग दो तिहाई भाग भारत शरकार अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928 पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 दर्जन देशों के शंविधान से विभिन्न प्रावधानों को ग्रहण किया गया है।

इस प्रकार भारतीय शंविधान मौलिक द्वया नहीं हैं बल्कि व्यावहारिक द्वया है अर्थात् यह शंविधान निर्माताओं के मरितास्क के द्वयतंत्र चिन्तन की उपज नहीं हैं बल्कि शंविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के शंविधानों के प्रावधानों का अध्ययन इस मूल्यांकन के आधार पर किया कि वे प्रावधान शरकारों के शंयालन में कितनी शुविधायें और अशुविधायें उत्पन्न करते हैं। जिन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया, उन्हें शंविधान में शामिल किया किन्तु भारतीय शंविधान उदार का थैला नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों के शंविधान के प्रावधानों की उसी रूप में अपनाया नहीं गया है बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप शंशोधित कर प्रारंभिक बनाया गया है और शंविधान में शम्मिलित किया गया है।

उदाहरणार्थ :- नीति निर्देशक तत्व की शंकल्पना आयरलैण्ड से लिया गया है किन्तु भारतीय शंविधान में शामिल किये गये ये तत्व आयरलैण्ड की शंविधान की तुलना में अत्यन्त व्यापक हैं।

नम्यता व अनम्यता का मिश्रण :- नम्य शंविधान वह शंविधान है जिसमें शंशोधन करना अत्यन्त शरल हो। जैसे - ब्रिटेन का शंविधान।

अनम्य शंविधान वह शंविधान है जिसमें शंशोधन करना जटिल हो। जैसे - अमेरिका का शंविधान।


भारत का शंविधान न तो ब्रिटिश शंविधान की तरह लचीला है और न ही अमेरिका की शंविधान की भाँति कठोर है, बल्कि शंविधान शंशोधन के शब्दर्थ में इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। भारतीय शंविधान में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत दो तरीके से शंशोधन किया जा सकता है -

विशेष बहुमत द्वारा - विशेष बहुमत कम से आधे शब्दों के अनुशःर्थन द्वारा

इसके अतिरिक्त शादारण बहुमत के द्वारा भी शंशद शंविधान में परिवर्तन कर शकती है किन्तु यह इस लचीला तरीका है कि शंविधान में परिवर्तन होने के बावजूद भी इसे शंविधान शंशोधन की शंका नहीं देते।

शंविधान में शंशोधन की इस व्यापक प्रक्रिया को अपनाने के लिये पंडित नेहरू ने शंविधान अभा में तर्क दिया कि हम भारतीय शंविधान को गतिशील बनाना चाहते हैं, जिससे भविष्य में कार्य करने वाली शरकारें आवश्यकताबुद्धि शंविधान में शंशोधन कर शकें और शंविधान शरकारों के शुविधाजनक शंयालन में शहायक हो शके। इस प्रकार शंविधान शंशोधन का व्यापक अवश्य मिलना चाहिये किन्तु शंविधान शंशोधन के अवश्य उपलब्ध कराते शम्य यही भी ध्यान रखना होगा कि शरकारें शंविधान शंशोधन का दुरुपयोग कर शंविधान में मनमाने शंशोधन न कर शके। यही कारण है कि इन दोनों विशेषाभाजी दृष्टिकोणों के मध्य शंविधान शंशोधन की प्रक्रिया अपनायी गयी है और माध्यम मार्ग का अनुशरण करते हुये इसे शम्यता और अशम्यता का मिश्रण बनाया गया है।

रांगड़ीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)



लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों का शासन। इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो लोगों की आगीदारी पर आधारित है। यह एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। यह लोक दम्पत्ति के दिछांत पर आधारित है। जिसका अर्थ है कि दर्वोच्च शक्ति लोगों में गिहित होती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है कि “लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा”।

जनरांगव्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में अस्भव नहीं है। अतः, लोकतांत्रिक प्रणालियाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रचलित हैं जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में आगीदारी बनाती है।

नोट :- प्रत्यक्ष लोकतंत्र के शासन

पहल (Initiative)

पुनर्वापसी (Recall)

जनमत शंख (Referendum)

जनमत शंख (Plobisite)

पहल :- इसके अन्तर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिये कानून का प्रारूप तैयार कर विद्यायिका के पास भेज सकती है। जनता की इस शक्ति को पहल कहते हैं।

पुनर्वापसी (Recall) :- कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किसी चुने गये प्रतिनिधि को वापस बुला लेना पुनर्वापसी कहलाता है और अब व्यक्ति के इथान पर किसी दूसरे व्यक्ति को चुनकर भेज दिया जाता है।

जनमत शंखः (Referendum) :- किसी विवाद के समाधान करने या विषय का निश्चय करने के लिये जब लोगों से शय एकत्र की जाये, तो यह जनमत शंखः कहलाता है। लोगों की शय ही यहाँ समाधान होती है।

जनमत शंखः (Plobisite) :- किसी विषय पर लोगों की शोच क्या है जब यह मात्र जानने के लिए लोगों की शय एकत्र की जाये तब इसे Plobisite कहा जाता है।

	शंशदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)	अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (Presidential System)
1.	शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित	शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित
2.	शक्तियों के समन्वय का रिहांत	नहीं
3.	नहीं	झवरीष्ट एवं संतुलन का रिहांत
4.	दोहरी कार्यपालिका (Dual Executive) <ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य का अध्यक्ष <ul style="list-style-type: none"> • भारत - राष्ट्रपति • ब्रिटेन - ताज 2. सरकार का अध्यक्ष <ul style="list-style-type: none"> • प्रधानमंत्री 	एकल कार्यपालिका-राष्ट्रपति (राज्य एवं सरकार दोनों का अध्यक्ष)
5.	राज्याध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष के मध्य भेद	नहीं
6.	मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता/शर्तों पर आधारित	नहीं
7.	नहीं	मंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के किंचें कैबिनेट का सदस्य होना आवश्यक
8.	मंत्रियों का उत्तरदायित्व - दोहरा उत्तरदायित्व <ol style="list-style-type: none"> 1. राज्याध्यक्ष के प्रति <ul style="list-style-type: none"> • भारत - राष्ट्रपति के प्रति • ब्रिटेन - ताज के प्रति 2. गिर्झ शब्दन के प्रति <ul style="list-style-type: none"> • लोक सभा के प्रति 	एकल उत्तरदायित्व - मात्र राष्ट्रपति के प्रति
9.	सरकार का कार्यकाल - अरिथर	सरकार का कार्यकाल - रिथर

गुण		
1.	अधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली	सरकार का रिथर कार्यकाल
2.	शक्तियों के मध्य परस्पर सहयोग अतः, टकराव की संभावना क्षीण	प्रभावी निर्णय शक्ति
3.	शक्तियों के निरंकुश होने का खतरा नहीं/कम	राजनीतिक दोष कम

4.		दल - बदल का कोई स्थान नहीं होता
दोष		
1.	सरकार का कार्यकाल अस्थिर (अनिश्चित)	अपेक्षाकृत कम उत्तरदायी प्रणाली
2.	राजनीतिक दोष के जन्म के अवशेष होते हैं।	शक्तियों के मध्य टकराव की सम्भावना
3.	दल बदल का क्षेत्र	निरंकुशता की सम्भावना
4.	सरकार के पास प्रभावी संदर्भ- क्षमता के अवशेष कम	

भारत में संशदीय प्रणाली के अपनाये जाने के कारण :-

1. भारतीयों को किसी प्रणाली में सरकार चलाने का अनुभव नहीं था किन्तु ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित की गयी संस्कृत व कार्यप्रणाली संशदीय प्रणाली पर आधारित थी जिसे स्वतंत्रता के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। वस्तुतः व्यवहारिक नजारिये से यही उचित था।
2. संशदीय प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में अधिक उत्तरदायी होती है।
3. संशदीय व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष पर अनेक अध्यक्षात्मक व्यवस्था की भाँति शक्तियों के टकराव की सम्भावना नहीं होती है।

उपर्युक्त आधारों पर संविधान निर्माताओं ने संशदीय प्रणाली को अपनाना ऐस्थ रामझा।

भारत में संशदीय प्रणाली :-

भारतीय संविधान के अन्तर्गत संशदीय शासन व्यवस्था अपनायी गयी है हालांकि संविधान में इस शब्द का कही प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52, 53(1), 74(1), 75(2), 75(3) के संयुक्त मिष्कर्ज के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में संशदीय प्रणाली अपनायी गई है। उच्चतम न्यायालय से संशदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है।

भारत में संशदीय प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा :-

संशदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, कनाडा, अट्रेलिया और देशों में सफल रही है जबकि भारत में यह अधिक सफल नहीं रही है। डी.डी. बर्न, बी.एन. शुक्ला और राजनीतिज्ञों का मानना है कि भारत में संशदीय प्रणाली असफल रही है। संशदीय प्रणाली के असफलता के लिये निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे हैं-

1. भारत में राजनीति की नैतिकता में गिरावट।
2. राजनीतिक दलों में अनुशासनहीनता में वृद्धि।
3. राजनीति में तेजी से बढ़ता हुआ अष्टाचार और - कि आपरेशन दुर्योगों के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि संशद शदर्य, शदग में प्रश्न पूछने के लिये भी लोगों से रिश्वत लेने लगे हैं।
4. राजनीति में अपराधीकरण का प्रवेश जिसने अपराधीकरण की राजनीति का रूप धारण कर लिया है भारत सरकार के पूर्व गृह शिव एन. बोहरा ने अपनी रिपोर्ट में अपराधियों और राजनीतिज्ञों के मध्य गठजोड़ का उल्लेख किया है।
5. राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव।
6. राजनीतिक दलों एवं राजनीताओं में अनुत्तरदायित्व एवं अविवेदनशीलता में वृद्धि।
7. दल - बदल सम्बंधी दोष जिसने राजनीति में अनेक दोषों को जन्म दिया है।

8. उन्नता के मध्य पर्याप्त जागरूकता का इच्छाव ।
9. उन्नता की शाजनीति एवं सरकार में शक्तिय एवं सकारात्मक भागीदारी का इच्छाव ।

1960 के दशक के उत्तरार्द्ध से भारतीय शाजनीति में उपयुक्त पतन के लक्षण दिखाई देने लगे जिसने शंशदीय प्रणाली के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न की । परिणामस्वरूप शाजनीतिज्ञों के एक वर्ग के द्वारा यह माँग की जाने लगी कि शंशदीय प्रणाली के असफल होने के बाद भारत में अब इसके इथान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिये । इस मुद्दे पर अनेक राष्ट्रीय बहस आयोजित शी की गई तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि भारत में शंशदीय प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं किन्तु अध्यक्षात्मक व्यवस्था इसका विकल्प नहीं बन सकती है । शाथ ही शंशदीय प्रणाली में उत्पन्न दोष ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जिनका निशकरण न किया जा सके । इन दोषों को दूर कर शंशदीय प्रणाली को सफल बनाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये ।


एस.सी. ने भी भारत में शंशदीय प्रणाली को शंविद्यान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है ।

कुड़ाव/उपाय :-

1. शाजनेताओं के लिये कठोर आचार शंहिता (Code of Conduct) एवं गैरिक शंहिता (Code of Ethics) विकासित किया जाना चाहिये ।
इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिये और इसका अनुपालन शुनिश्चित करने एवं उल्लंघन की दशा में दण्ड देने हेतु एक निष्पक्ष तंत्र निर्मित किया जाना चाहिये ।
2. शाजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का विकास किया जाना चाहिये । जिन दलों में द्वयं आन्तरिक लोकतंत्र न हो, उन पर चुनाव लड़ने/निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये ।
3. शाजनैतिक दलों एवं शाजनेताओं में जवाबदेही एवं शंवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिये ।
4. शाजनैतिक दलों के आय व्यय एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों में पारदर्शिता को बनाया जाना चाहिये ।
5. शाजनैतिक दलों द्वारा इस प्रकार की अनेक घोषणायें द्वतः शार्वजनिक की जानी चाहिये तथा शाजनैतिक दलों को शुद्धा के अधिकार कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ।
6. शाजनैतिक अष्टाचार पर कठोरता के शाथ अंकुश लगाया जाना चाहिये ।
7. शाजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोका जाना चाहिये । इसके लिये कानूनों एवं न्यायिक प्रक्रिया में शुद्धा किया जाना चाहिये ।
8. दल बदल शम्बन्धित प्रावधान दोषों को दूर किया जाना चाहिये जिससे इसका दुर्क्षपयोग रोका जा सके । जैसे - दल बदल के अंदर्भ में अत्योन्नता शम्बन्धित कोई निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति या शाजयपाल को दिया जाना चाहिये । द्वितीय प्रशासनिक शुद्धा आयोग ने भी ऐसी ही रिफारिश की थी ।
9. उन्नता के मध्य जागरूकता का विकास किया जाना चाहिये । इसके लिये एविल शमाज के अंगठों आदि की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिये ।
10. शाजनीति एवं सरकार में लोगों की शक्ति एवं सकारात्मक भागीदारी के लिये उन्हें शिक्षा, प्रेरणा आदि दी जानी चाहिये ।

- प्रश्न 1.** भारत में शंखदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन में छनेक चुनौतियों का शामना करना पड़ा है। वस्तुतः इन चुनौतियों ने इसी असफलता के ढार पर ला खड़ा किया है। इस वाक्य के आधार पर भारत में शंखदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन का परिक्षण करें।
- प्रश्न 2.** शंखदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना करते हुये वे क्या कारण थे जिनके आधार पर शंखिदान निर्माताओं ने शंखदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्षात्मक प्रणाली की भारत में अपनाने के लिए श्रेष्ठ बताया। उपष्ट करें।
- प्रश्न 3.** शंखदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें।
- प्रश्न 4.** भारत में शंखदीय लोक प्रणाली के असफल होने के कारणों का उल्लेख करें।
- प्रश्न 5.** उन उपायों का रोड मैप तैयार करें जिनके आधार पर भारत के शंखदीय प्रणाली में विद्यमान दोषों का निराकरण किया जा सकता है।
- प्रश्न 6.** ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों की तुलना के आधार पर भारत में शंखदीय प्रणाली असफल है जबकि उन देशों में अपेक्षाकृत शफल है। टिप्पणी करें।

परिसंघीय/ शंघीय व्यवस्था Federal System




जब विभिन्न क्षेत्रीय और गोलिक इकाईयाँ अर्थात् प्रान्त मिलकर ऐसे केन्द्र की रचना करें जहाँ केन्द्र एवं राज्यों की स्वतंत्र संरक्षित हो, तो ऐसे शाड़ीय को शंघीय शाड़ीय कहते हैं और शंघीय शाड़ीय के लिये बनाया गया शंविधान शंघीय शंविधान कहलाता है। जैसे - भारत, अमेरिका, आदि।

जब प्रान्त मिलकर ऐसे केन्द्र की रचना करते हैं जहाँ समर्त राजा/अधिकार केन्द्र में निहित होते हैं एवं प्रान्त की कोई स्वतंत्र संरक्षित नहीं होती बल्कि वे केन्द्र के प्रशासनिक एजेंट की भाँति कार्य करते हैं ऐसे शाड़ीय को एकात्मक शाड़ीय कहते हैं और इस शाड़ीय के लिये बनाया गया शंविधान एकात्मक शंविधान कहलाता है।

जैसे - ब्रिटेन, फ्रांस आदि।

शंघीय व्यवस्था के प्रकार :-



भारतीय शाड़ीय या शंविधान के शंघीय रूप का परिक्षण :-

भारतीय शंविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का शंघ (union of State) है। इस प्रकार अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत में शंघीय प्रणाली अपनायी गयी है और शंघीय प्रणाली का यूनियन प्रकार अपनाया गया है।

शंविधान राजा में भी डॉ. अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया है कि हमने जानबूझकर यूनियन प्रकार की शंघीय व्यवस्था अपनायी है क्योंकि यह एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करता है। भारत विविधताओं से युक्त देश है जिससे भविष्य में एकता और अखण्डता के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं अतः, ऐसी चुनौतियों का कठोरता पूर्वक ध्वनि करने के लिये एवं राष्ट्र की एकता व अखण्डता को बनाये रखने के लिये एक शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक है।

शंविधान राजा के कुछ शदर्थों ने फेडरेशन के पक्ष में जब विचार दिये, तब डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि तुलनात्मक रूप में यूनियन फेडरेशन से श्रेष्ठ यूनियन केन्द्र में राज्यों की निष्ठा का परिणाम है जबकि फेडरेशन केन्द्र एवं राज्यों के मध्य (अमेरिकी) शाड़ीय का अमर्झीति का परिणाम है। निष्ठा का तत्व अमर्झीति से अधिक प्रबल है। दोनों व्यवस्थाओं ने शाड़ीय केन्द्र से अलग नहीं हो सकते किन्तु निष्ठा इसका प्रबल परियायक है। डॉ. अम्बेडकर ने यहाँ तक कह दिया कि फेडरेशन ही एक प्रकार का यूनियन है।

उच्चतम न्यायालय ने केशवानन्द भारती V/S केरल राज्य एवं एस.आर. बोम्मई V/S भारत संघ के मामले में भी यह अप्रष्ट किया है कि भारतीय संविधान संघीय हैं और संघीय संविधान, संविधान का आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) हैं। इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित होने के बजाय कनाडाई मॉडल पर आधारित हैं।

संघीय संविधान के लक्षण

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. लिखित संविधान
3. दोहरा संविधान  संघ
राज्य
4. दोहरी नागरिकता  संघ
राज्य
5. संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारी
6. द्विसदनीय विधायिका
7. कठोर संविधान
8. द्वितंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका



भारत में संघीय संविधान के लक्षण

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. लिखित संविधान
3. संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारी
4. द्विसदनीय विधायिका
5. कठोर संविधान
6. द्वितंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

भारत में संघीय संविधान पर चिंतकों के विचार :-

के.डी. क्षीरर ने भारतीय संविधान को अर्द्ध संघ कहा है।

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| - ग्रेगविल अर्टिन | शहकारी संघवाद (Factorialism) |
| - आइवर डेनिंग्टन | शशवत केन्द्रीकृत प्रबुति वाला संघ |
| - मॉरिस जोन्स | समझौतावादी संघवाद |

प्रतिअपर्दी संघवाद :- शहकारी संघवाद - मिलजुल कर कार्य करना

केन्द्र एवं राज्य द्वाकार हर राज्य को पैसा देता है लेकिन व्यवहार में हम आर्थिक रूप से कमज़ोर को पैसा देते हैं लेकिन अब नहीं क्योंकि हम उस राज्य को पैसा दिया जाता हैं जो तरक्की करना चाह रहा है या कर रहा है जिससे दूसरे राज्य में प्रतिअपर्दी होगी और विकास करना शुरू करेंगे। ये अभी शैश्वारस्था में हैं।

भारतीय शंविद्यान अर्द्धरांघ नहीं है।

ब्रिटिश विद्यिशास्त्री के. डी. क्लीयर ने भारतीय शंविद्यान को अर्द्धरांघ कहा है। उन्होंने सम्भवतः यह शंद्वा इश्वलिये दी क्योंकि भारतीय शंविद्यान में शंधीय एवं एकात्मक शंविद्यान में दोनों के लक्षण पाये जाते हैं।

भारतीय शंविद्यान में पाये जाने वाले शंधीय लक्षण निम्नलिखित हैं -

- 1 शंविद्यान की शर्वोच्चता
- 2 लिखित शंविद्यान
- 3 शंघ व शड्य के मष्य शक्तियों का बंटवारा
- 4 द्विशब्दनीय विद्यायिका
- 5 कठोर शंविद्यान
- 6 द्वंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

भारतीय शंविद्यान में एकात्मक शंविद्यान के श्री लक्षण विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित हैं -

1. एकल शंविद्यान (शंघ व शड्य हेतु)
2. एकल नागरिकता (भारतीय शंविद्यान)
3. शंशद् द्वारा शड्यों का निर्माण, नाम, शीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन
4. शड्यपाल की नियुक्ति
5. आपातकालीन प्रावद्यान
6. शंशद् द्वारा शड्य शूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति
 - (a) राष्ट्रीय हित में अनुच्छेद - 249
 - (b) आपातकाल के दौरान अनुच्छेद - 250
7. एकीकृत न्यायपालिका - { शंघ की न्यायपालिका - शर्वोच्च न्यायालय
शड्य की न्यायपालिका - उच्च न्यायालय
अधीनस्थ न्यायालय
8. अधिवल भारतीय शेवा - Only suspend → 2 Months
9. शंघ व शड्य शम्बन्धों का शंघ के पक्ष में वितरण
10. एकल लेखा परिक्षण

लेखा = आय-व्यय का विवरण

शंघ व शड्य के आय व्यय का परीक्षण




डी.ए.डी. शंशद् का अधिकारी

शंधीय एवं एकात्मक लक्षणों के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शंधीय प्रकृति के लक्षणों का महत्व एकात्मक प्रवृत्ति के लक्षणों में अधिक है। सामान्यतः एकात्मक व्यवस्था के लक्षण देश में एकता एवं अखण्डता के बनाये रखने तथा देश की विविधता से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये बनाये गये हैं। अन्यथा शंविद्यान में मूलभूत रूप से शंधीय लक्षणों का अमावेश किया गया है। यही दृष्टिकोण शर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती बनाम केरल शड्य तथा एस.आर.बम्बई बनाम भारत शंघ के मामले में भारत की शंधीय व्यवस्था की व्याख्या करते हुये अपनाया है। न्यायालय ने भारतीय शंविद्यान की मानव शरीर से तुलना करते हुये कहा कि शंविद्यान के शंधीय लक्षण आत्मा की भाँति महत्व के हैं जबकि एकात्मक लक्षणों का महत्व शरीर के अंगों की भाँति है। अतः, भारतीय शंविद्यान शंधीय है। शंविद्यान की शंधीय प्रकृति शंविद्यान का आधारभूत ढाँचा है।

इस प्रकार शंखिदान को अर्द्धशंघ की शंखा उपयुक्त नहीं है।

आरतीय शज्य : शहकारी शंघ



शहकारी शंघवाद :-

शहकारी शंघवाद का अर्थ है कि शंघ एवं शज्यों का शहकारिता के आधार पर कार्य करना अर्थात् परस्पर मिलजुल कर भूमिका का निर्वाह करना।

शहकारी शंघवाद आरतीय शंघीय व्यवस्था को मजबूती व गतिशीलता प्रदान करता है। इसने भारत की शंघीय व्यवस्था को जीवंत बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। शंखिदान में वर्णित प्रावधानों एवं अनेक गैर 2 शिवैशानिक प्रावधानों ने वह धरातल निर्मित किया हैं जिसके आधार पर भारत में शहकारी शंघवाद की इथापना हो रही है। ये कारक मिम्नलिखित हैं -

1. शैक्षणिक कारक :-

निम्नलिखित अनुच्छेदों में ऐसे प्रावधान वर्णित किये गये हैं जो भारतीय शंघीय व्यवस्था में शहकारीता की स्थापना करते हैं -

अनुच्छेद 252 के अनुसार जब दो या दो से अधिक शज्य इस बात पर शहमति प्रकट करें कि शंशद शज्य शूची के किसी विषय पर उनके लिये विधि बनाये तो शंशद शज्य शूची के विषय पर विधि बना सकती है। जिसका उन शज्यों के द्वारा पालन किया जायेगा। ऐसी विधि उन शज्यों के द्वारा भी लागू/स्वीकार की जा सकती है जो शहमति देने की योजना में शामिल नहीं थी।

अनुच्छेद 258 के अनुसार, शंघ शरकार श्वयं के क्षेत्र में आगे वाला कोई विषय शज्य शरकारों को उनकी शहमति से ऊपर नहीं है।

अनुच्छेद 258 (1) के अनुसार शज्य शरकार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कोई आगे वाला विषय शंघ शरकार की शहमति से ऊपर नहीं है।

अनुच्छेद 262 के अनुसार, किसी अंतर्राजीय नदी या नदी घाटियों के जल बैंटवारे को लेकर होने वाले किसी विवाद का शमादान शंशद करेगी। शंशद ऐसे शमादान के लिये न्यायालय को हस्तक्षेप करने से शैक्षणिक कारक हैं।

अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राजीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है जिसका उद्देश्य शज्यों के बीच शमनवय को बढ़ावा देना एवं विवादों के जाँच का शमादान के लिए शलाह देना है।

अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत गठित वित्त आयोग शंघ व शज्यों के मध्य वित्तीय शहयोग एवं शामनजार्य में वृद्धि करता है।

अनुच्छेद 290 के अनुसार, शंघ एवं शज्य शरकारों परस्पर कुछ व्ययों का शमायोजन कर सकती है।

2. गैर शैक्षणिक कारक :-

शरकारों के शंचालन के दौरान कुछ ऐसे आदार उत्पन्न हुये हैं जिनका उल्लेख शंघिदान में नहीं है किन्तु उन्होंने भारत में शहकारी शंघवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आदार निम्नलिखित हैं -

(i) नीति आयोग :-

नीति आयोग के गठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक शहकारी शंघवाद को प्रोत्तोहित करना रहा है। इस प्रकार यह शंघ एवं शज्यों के मध्य विशेषज्ञ एवं तकनीकि परामर्श के माध्यम से शहयोग की स्थापना पर बल देता है।

नीति आयोग से पहले भारत में योजना आयोग एवं शष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) योजनागत शहयोग के साथ उपयुक्त भूमिका का निर्वाह करते थे।